प्रेस विज्ञप्ति

13.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने 07.01.2026 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में निशीद महादेव राव वासनिक और उनके सहयोगियों से जुड़े 3 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज/रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, साथ ही 20 लाख रुपये से अधिक की बैंक राशि फ्रीज की गई, 43 लाख रुपये के बराबर क्रिप्टोकरेंसी वाले एक गुप्त/निजी वॉलेट को फ्रीज किया गया और आरोपियों द्वारा अर्जित करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियों सहित कई संपत्तियों की पहचान की गई।

महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत निशीद महादेव राव वासनिक और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज अपराध के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की, जिन्होंने क्रिप्टोकरेंसी निवेश योजनाओं/ट्रेडिंग की विभिन्न योजनाओं में निवेश और ट्रेडिंग पर बहुत कम समय में अत्यधिक उच्च रिटर्न देने का लालच देकर आम जनता से भारी मात्रा में धन एकत्र किया और बाद में व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका दुरुपयोग किया।

ईडी की जांच में पता चला कि निशीद वासनिक के नेतृत्व वाले गिरोह ने धोखे से एक अपंजीकृत और अवैध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म "ईथर ट्रेड एशिया" का प्रचार/संचालन किया और नागपुर और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों के विभिन्न स्टार-रेटेड होटलों में प्रचार सेमिनार आयोजित किए, जिनमें उन्होंने भोले-भाले निवेशकों को ठगने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से तथाकथित निवेश योजनाओं के बारे में आम जनता में भ्रामक जानकारी फैलाई। इसके अलावा, उन्होंने फर्जी वादों के साथ एक कपटपूर्ण बाइनरी कमीशन योजना बनाकर ईथर ट्रेड एशिया प्लेटफॉर्म को डिजाइन और प्रचारित किया और भोले-भाले निवेशकों को "एथेरियम" क्रिप्टोकरेंसी में किए गए निवेश पर अत्यधिक उच्च रिटर्न का लालच देकर उन्हें लुभाया। उन्होंने अपनी कंपनी मेसर्स ईथर ट्रेड एशिया के बैनर तले विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यह धन इकट्ठा किया और जनता से भारी मात्रा में धन एकत्र किया। बाद में, एकत्रित धन का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया, जिससे निवेशकों को 4.25 करोड़ रुपये से अधिक का अनुचित नुकसान हुआ और इसके बराबर लाभ स्वयं उन्होंने प्राप्त किया।

ईडी की जांच में पता चला है कि निशीद वासनिक और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी से प्राप्त धन का उपयोग अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर तथा उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं के नाम पर चल और अचल संपत्तियों को अर्जित करने के लिए किया। इसके अलावा, सार्वजनिक धन का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और उसे अपने निजी वॉलेट में छिपाने के लिए भी किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।